इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / था-1 / CF-07 / 2013 / रायपुर, दिनांक: /05/2013

आदेश

विश्वविद्यालय परिनियम 1987 की धारा 5 (छ) के अनुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा एवं माननीय कूलपतिजी के अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित अवधियाँ को प्रक्रिया विस्तार अधिकारी–III (बैकलोंग) वेतन बैंड— ₹ 5200–20200 + ग्रेड पे ₹ 2200/-- के पद पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर उनके नाम के सम्पुक्त परिचित पदस्थापना स्थल पर अस्थायी रूप से, आगमी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>अवधियाँ का नाम एवं पता</th>
<th>पदस्थापना स्थल</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>01</td>
<td>सूदीर तिगं, श्री सामुद्रकर, श्री आदियास कल्लू, डिपार्च याई, राजीव दी येण नगर, मुंगा बाई कालोनी, कटनी (प्र.) 483 501</td>
<td>संवरलनायक अनुसंधान सेवाये, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (एकीष ऑफ़ एकादेमिकोलॉजी)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

अनुसूचित जाति

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>अवधियाँ का नाम एवं पता</th>
<th>पदस्थापना स्थल</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>02</td>
<td>शिवचन्द्र दिवाकर, श्री वैज्ञानि विद्याकर, ग्राम–अम्पुर, औरंगपुरा, कानपुर (छ.ग.) 495 683</td>
<td>कृषि महाविद्यालय, माटावारा (प्रौद्योगिकी इकाई)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

अन्य पिछड़ा वर्ग

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.</th>
<th>अवधियाँ का नाम एवं पता</th>
<th>पदस्थापना स्थल</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>03</td>
<td>गोवर्धन कुमार वर्मा, श्री गोवर्धन हान, ग्राम–भासुल, औरंगपुरा, शाहाबाद, जिला–राजनागर, (छ.ग.) 491 444</td>
<td>जनशक्ति की महाविद्यालय, राजनागर</td>
</tr>
</tbody>
</table>

नियुक्ति की शर्तें :—

01. अवधियाँ को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर्त्तव्य पर मह प्रमाण–पत्र (शैक्षणिक योग्यता, जाति, जाति सत्यापन एवं मूल निवासी प्रमाण–पत्र) के साथ उपस्थित होना होगा। अवधि के प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए विषय अनुसार विधिरूप निर्देश द्वारा जानेवारी होगा।

02. अवधियाँ के प्रस्तुत कोई भी प्रमाण–पत्र विभेद में यदि असत्य पाये जाते हैं तो नियुक्ति आदेश विना कारण बाध्यों से निरोप कर दिया जावेगा।

03. अवधियाँ को विश्वविद्यालय के अधीन संचालित किसी भी केंद्र/इकाई में आवश्यकता होने पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

04. उपयोगियों द्वारा किसी भी समय एक माह की सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकती है। सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन–नल्ला भुगतान/अनुभव होगा।

05. अवधियाँ कर्त्तव्य पर उपस्थिति के समय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के चिकित्सा अधिकारी अभ्यास जिला सिसियर विभाग से शारीरिक क्षमता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक क्षमता प्रमाण–पत्र में शारीरिक रूप से अमोघ पाये जाने पर संबंधित की सेवाओं को नहीं लेकर समाप्त कर के जायेगी।

क्रमांक...2
06. पदस्थापना स्थल के नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा संबंधित का पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराया जाओगा एवं चरित्र सत्यापन की सत्यापित छायाप्रति 6 मह के भीतर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जाओगी। चरित्र सत्यापन में पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित के विषय में कोई प्रतिकूल दीवार पाए जाने पर निरूपित आदेश तत्काल निरस्त कर दिया जाओगा।

07. नियुक्त अधिकारियों पर नवीन परिवर्तित अंशाधीपी पंजीकरण योजना लागू होगी।

08. अधिकारी को भारतीय संविधान के प्रति निश्चयन रहने की शपथ लेनी होगी।

09. अधिकारी को कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देना नहीं होगा।

10. अधिकारी को कर्तव्य पर उपस्थित होने की तिथि से एक मह के भीतर निरूपित छिपकला भत्ता/प्रतिपूर्ति सन्मिलन भत्ता हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि उल्लग आदेश पारित करने में छत्रीसागढ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य विच्छेद वर्गों के लिये आर्थिक) अधिनियम 1994 के प्रवृत्तियों का पालन किया गया है।

कुलपत्तिकी के आदेशसुनामार

नौकरी क्रमांक/स्थल-1/CF-07/2013/1059
रायपुर, दिनांक: 20/05/2013

प्रविचित: सूचना एवं आवश्यक कार्यबाहर हेतु प्रशिक्षित। नियंत्रणकर्ता अधिकारी कृपया नियुक्ति अधिकारियों का उपस्थिति प्रतिवेदन, शारीरिक क्षमता प्रमाण-पत्र एवं जाति सत्यापन प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें:

1. संवाहक अनुसंधान/विस्तार सेवायें/शिक्षण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
2. अविभाज्यता, कृषि महाविद्यालय, रायपुर।
3. अविभाज्यता, कृषि अभियात्रीकी संकाय/प्राचीन कल्याण, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
4. अविभाज्यता, कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, बिलासपुर/जगदलपुर/अंकोपुर/करगंज।
5. अविभाज्यता, बो.आर.एस.एम. कृषि अभियात्रीकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, मुंगेर (रायपुर केन्द्र)।
6. अविभाज्यता, कृषि महाविद्यालय, जार्जीयर-चापा/मठापाला।
7. अविभाज्यता, उद्योगकी महाविद्यालय, रजनीनगर।
8. लेखालेखन, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
9. पुरातत्वशाखा /विद्यालय कार्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
10. सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, इं. गा. कृ. वि. वि. रायपुर।
11. प्रमुख देशनिक, विदेशी कृषि अनुसंधान केंद्र, बोईरदादर फार्म, रायगढ।
12. प्रभारी, है. के. फार्म, मठापाला (रायपुर)/बरीडा फार्म रायपुर।
13. माननीय कुलपत्तिकी के निज सहायक, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर।
14. संबंधित: —

15. व्यवहारक/मास्टर नक्शी।